तारीख हुक्म

1 ... पत्रावली दिनांक 16-9-2020 को पेश हो।

16.9.2020 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। पत्रावली मैरोकार सरकार उपस्थित नहीं है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 2-12-2020 को पेश हो।

2.12.20 वकील प्रार्थी/आसामी/उभयपक्ष उपस्थित
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि 28.01.21
को पेश हो।

28/1/21 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/ अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 27.4.21
को पेश हो।

27/4/21 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/ अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 13/5/21
को पेश हो।

13.5.21 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/ अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 24.8.21
को पेश हो।

24.8.21 वकील पक्षकारान उपस्थित है। तहसीलदार नैनवां को जवाब हेतु पत्र लिखा जाकर पत्रावली दि० 1.12.21 को पेश हो।

26.11.21 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट देई में आज पेश हुई। तहसीलदार नैनवां से जवाब प्राप्त ... बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली ... पृथक से लिखाया जाकर ... पत्रावली बाद तकमील ... दाखिल दफ्तर ... पुनः ... तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (...)

प्रशासन गांवो के
संग अभियान 202...
कैम्प कोर्ट
...

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:46:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
राजस्व रिकार्ड में ख.नं. $\frac{2982}{0-08}$, $\frac{3000}{00-10}$ $\frac{3001}{0-02}$, भूमि की जमाबंदी में प्रहलाद पुत्र गोगा व गोरधनी बेवा बजरंगा जाति मीना आ रहा है, जबकि प्रहलाद व गोरधनी की वास्तविक जाति धाकड़ है। हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम देई तहसील नैनवां मे खाता सं. 216 के खसरा सं. $\frac{2982}{00-08}$, $\frac{3000}{00-10}$, $\frac{3001}{0-02}$ भूमि मे खातेदार बजरंगा आ॰ माधो की जाति "मीणा" के स्थान पर "धाकड़" किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:46:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner